रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248989
SG-DL-E-25092023-248989

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 230
No. 288]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945	[N. C. T. D. No. 230

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

फा. सं. –19(8)/2021/वि.स.स./स्था. शाखा/4703-4709.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या–एफ 27/59–हिम (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार के दिनांक 29 अक्टूबर, 1986 की अधिसूचना के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जाने वाली या लोप किये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, विधान सभा सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में ''स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)^' के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** : (i) इन नियमों को ''स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)'' भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **निरर्हता :– वह व्यक्ति,**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो अपने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (रुपये 19,900-63,200/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18–25 वर्ष * (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टीपः आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होती है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	**आवश्यक** 1- 10वीं कक्षा उतीर्ण; 2- मोटर कार हेतू वैद्य ड्राइविंग लाइसेंसधारी; 3- मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यार्थी को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए) ; 4- मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव;

		वांछनीय होम गार्ड या नागरिक स्वंयसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा । **टिप्पण–1:** अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट योग्य है। **टिप्पण–2:** अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलीय है। यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभवाना नहीं है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	**लागू नहीं**
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
10	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो श्रेणी जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है।	**पदोन्नतिः–** वेतन मेट्रिक्स के स्तर–1 में रूपये 18,000–56,900/– में रिक्तियाँ निकालने वाले र्कायालय में हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले वर्ग 'ग' में 3 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति। बशर्ते कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (मोटर वहान संस्थान) द्वारा आयोजित की जाने वाली कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करे। **टीप**–जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है। वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे। बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिविक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	वर्ग ''ग'' पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (1) प्रधान सचिव/सचिव (श्रम विभाग), –अध्यक्ष (2) संबंधित विभागाध्यक्ष, –सदस्य (3) उपसचिव (सेवाएं), –सदस्य **टीप**–विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाई करण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति/स्थाई करण समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति/स्थाई करण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयेाग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

मुकेश सी. शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालय प्रमुख

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2023

F. No. 19(08)/2021/LAS/Estt./ 4703-4709.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's notification dated 29th October, 1986 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **"Staff Car Driver (Ordinary Grade)"** in the Legislative Assembly Secretariat of the Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**:- (i) These rules may be called **"Staff Car Driver (Ordinary Grade)"** Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**:- The number of post, its classification and level in the Pay Matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:-** No person;

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**:- Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Pay Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection or Non-Selection post.**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	02* (2023) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level: 2 (Rs.19900-63200/-) of the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other Qualifications required for Direct Recruits.	Whether age and Educational Qualifications Prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.
6.	**7.**	**8.**	**9.**
18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. ***In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	Essential:- **Essential:-** 1. Pass in 10th Standard. 2. Possession of a Valid Driving License for Motor Cars. 3. Knowledge of Motor mechanism (the Candidate should be able to remove minor defects in Vehicle). 4. Experience of Driving a Motor Car for at least three years. **Desirable:** Three Years' service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1:** Qualifications are Relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years for Direct recruits.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods;	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumst-ances in which UPSC to be consulted in making recruitment
10.	**11.**	**12.**	**13.**
By Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst the Group -C employees in the Pay Level – 1 Rs. 18000-56900/- of the Pay Matrix with 03 years of regular service in the Grade and having License of Light Motor Vehicle in the office in which the vacancy arises subject to passing a Skill test conducted by the Transport Department GNCTD. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	Group "C" DPC (for considering promotion/ confirmation): 1. Principal Secretary/ Secretary (Labour) : Chairman 2. Head of the Department Concern : Member 3. Dy. Secretary (Services) : Member **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	Not Applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

MUKESH C. SHARMA, Dy. Secy. (Admn.)/HOO

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2023.09.25 22:12:27 +05'30'